



एम्स/राजकोट/प्रशा./2024-25/6191

दिनांक- 24/10/2024

**कार्यालय ज्ञापन 176/2024**

**विषय: सोशल मीडिया के उपयोग के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का कार्यान्वयन।**

1. सोशल मीडिया संचार, नेटवर्किंग और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के महत्वपूर्ण साधन है। किन्तु, इसका गलत इस्तेमाल संस्थान की गरिमा और छवि को भी प्रभावित कर सकता है एवं व्यक्तिगत निजता का भी उल्लंघन करता है। छात्रों, कर्मचारियों को व्यावसायिकता और संस्थान की प्रतिष्ठा को बनाए रखते हुए सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से प्रयोग करने में मदद करने के लिए अनुलग्नक-1 के अनुसार एसओपी/दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं।
2. सभी कर्मचारियों (नियमित/अनुबंधित/आउटसोर्स) को सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी गतिविधि से दूर रहने का निर्देश दिया जाता है। इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा और एसओपी में उल्लिखित संबंधित नियमों के तहत उल्लंघनकर्ता के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
3. यह एम्स राजकोट के कार्यकारी निदेशक के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(डॉ. कुलदीप जी बी)

स्थानापत्र उप निदेशक (प्रशासन)

कार्यवाहक उप निदेशक (प्रशा.)  
Offg Deputy Director (Admin.)  
एम्स राजकोट - 360 001, गुजरात.  
AIIMS Rajkot - 360 001, Gujarat.

प्रतिलिपि:

1. कार्यकारी निदेशक के निजी सचिव एम्स, राजकोट
2. डीन विभागाध्यक्ष एवं डीएमएस- एम्स राजकोट, सूचना प्रसारित करने के लिए
3. लेखा अधिकारी- एम्स राजकोट

नोट: किसी भी विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।